डिस्कलेमर

अंतरिम आदेश संख्या 41/2022-23 का परिशिष्ट हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

ऐरा/20019/सीजीएफ-जी/2010-11/वॉल्यूम- VIII (खंड फाइल)
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

दिनांक 22.03.2023 के आदेश संख्या 41/2022-23 का परिशिष्ट

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली– 110003

जारी करने की तारीख: 07.06.2023

विषय: दिनांक 23.03.2023 के आदेश संख्या 41/2022-23 का परिशिष्ट - शिर्डी हवाईअड्डे के वैमानिक प्रभारों में संशोधन

संक्षिप्त पृष्ठ भूमि:

(i) डीजीसीए ने गैर-प्रमुख हवाईअड्डों (शिर्डी हवाईअड्डे सहित) पर वसूल किए जाने वाले वैमानिक प्रभारों के लिए 01.10.2020 से 31.03.2025 तक प्रभावी दिनांक 25.09.2020 का एआईसी संख्या 34/2020 जारी किया था। नागर विमानन मंत्रालय ने दिनांक 01.11.2021 की अधिसूचना द्वारा शिर्डी हवाईअड्डों को प्रमुख हवाईअड्डा घोषित किया। शिर्डी हवाईअड्डे को प्रमुख हवाईअड्डे के रूप में घोषित किए जाने के बाद महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलेपमेंट कंपनी (एमएडीसी) ने वैमानिक सेवाओ के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण को अपना एमवाईटीपी प्रस्तुत किया।

(ii) इसे ध्यान में रखते हुए कि वैमानिक सेवाओं के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित करने की प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा, एमएडीसी के अनुरोध पर प्राधिकरण ने दिनांक 22.03.2023 के आदेश संख्या 41/2022-23 के माध्यम से डीजीसीए द्वारा गैर-प्रमुख हवाईअड्डों के लिए जारी दिनांक 25.09.2020 के एआईसी संख्या 34/2020 के अनुसार शिर्डी हवाईअड्डे के लिए तदर्थ टैरिफ दरों के लिए अनुमोदन प्रदान किया। तदर्थ टैरिफ 01.04.2023 से 30.09.2023 तक, या नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, लागू है।

हवाईअड्डा प्रचालक की प्रस्तुति:

(iii) हवाईअड्डा प्रचालक ने दिनांक 19.05.2023 के पत्र संख्या एमएडीसी/शिर्डी हवाईअड्डा/232 द्वारा प्राधिकरण से यह अनुरोध किया कि दिनांक 22.03.2023 के आदेश संख्या 41/2022-23 के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित वैमानिक सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ में संशोधन करें क्योंकि दिनांक 25.09.2020 के एआईसी 34/2020 के स्थान पर दिनांक 29.04.2023 का एआईसी 06/2023 जारी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त एमएडीसी ने अपने अंतरदेशीय कार्गो को नीचे दिए गए प्रस्ताव के अनुसार बैली कार्गो मानते हुए कार्गो स्क्रीनिंग प्रभार अनुमोदित करने का भी अनुरोध किया:

तालिका 1 : अंतरदेशीय कार्गो के लिए कार्गो स्क्रीनिंग प्रभार

सेवा का नाम	**टैरिफ दरें**
एक्सबीआईएस प्रभार (रूपए)	प्रति किलोग्राम 2.00 रूपए या प्रति नग न्यूनतम 150 रूपए
ईटीडी प्रभार (रूपए)	प्रति किलोग्राम 3.00 रूपए या प्रति नग न्यूनतम 150 रूपए

प्राधिकरण की जांच:

(iv) प्राधिकरण नोट करता है कि दिनांक 25.09.2020 के एआईसी 24/2020 के स्थान पर दिनांक 19.05.2023 का एआईसी संख्या 06/2023 जारी कर दिया गया है और पहले वाला एआईसी अमान्य हो गया।

(v) शिर्डी हवाईअड्डे के लिए टैरिफ निर्धारित करने की प्रक्रिया जारी है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ने इसके एमवाईटीपी की समीक्षा/जांच के दौरान यह पाया है कि हवाईअड्डा प्रचालक ने प्रांरभिक स्तर पर हवाईअड्डा प्रचालनों में सहायता के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के अंतरदेशीय यात्रियों के लिए कतिपय यूडीएफ वसूल करने का प्रस्ताव किया है।

(vi) इसलिए प्राधिकरण ने एमएडीसी के तदर्थ टैरिफ दरों में संशोधन करने संबंधी अनुरोध, गैर-प्रमुख हवाईअड्डों के लिए जारी हाल ही के एआईसी और हवाईअड्डा प्रचालक के टैरिफ प्रस्ताव को संज्ञान में लिया तथा यह शिर्डी हवाईअड्डे पर 16.06.2023 से 30.09.2023 तक या नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, लैंडिंग और प्रयोक्ता विकास शुल्क (यूडीएफ) में वृद्धि करने की अनुमति देने का निर्णय लेता है।

(vii) प्राधिकरण उपर्युक्त तालिका -I के अनुसार एमएडीसी द्वारा अनुरोध किए अनुसार कार्गो स्क्रीनिंग प्रभारों के लिए अनुमोदन प्रदान करने का भी निर्णय लेता है।.

(viii) प्राधिकरण एमएडीसी को यह अनुमति देने का निर्णय लेता है कि वह दिनांक 29.04.2023 के एआईसी 06/2023 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कलस्टर-1 के लिए लागू पार्किंग और रात्रि प्रार्किंग प्रभार तथा निगरानी की अवधि बढ़ाने के लिए प्रभार लगाए और संग्रहित करें।

आदेश

उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि :

(ix) महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) को शिर्डी हवाईअड्डे पर 16.06.2023 से 30.09.2023 तक या नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, अंतरिम आधार पर वैमानिक प्रभार लगाने और वसूल करने की अनुमति दी जाती है।

(x) दिनांक 22.03.2023 के आदेश संख्या 41/2022-23 की अन्य शर्तें एवं निबंधन यथावत रहेंगे।

(xi) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव, ऐरा

सेवा में,

श्री संजय कंगणे, मुख्य वित्त अधिकारी,
महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड,
8वां तल, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर,
कफे परेड, मुम्बई -400005

प्रतिलिपि :

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003

2. नागर विमानन महानिदेशालय को एआईसी जारी करने के लिए